:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-खण्डवा (म0प्र0)::

/फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट/

क्रमांक-क/आर्म्स/2024/9915 खण्डवा, दिनांक 12 /07/2024

प्रति

प्राचार्य,

श्री बालाजी पब्लिक स्कूल,

ग्राम-छैगांवमाखन, इन्दौर रोड खण्डवा,

तहसील व जिला.खण्डवा

विषय :- Shri Balaji Public School को ग्राम-छैगांवमाखन, इन्दौर रोड खण्डवा, तहसील व जिला-खण्डवा के खसरा क्रमांक 344/1, क्षेत्रफल 4.25 हे0 पर शाला भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदन क्रमांक 6100014682 ।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त आवेदन के संदर्भ में श्री ए.के. जैन, सीनियर फायर ऑफिसर, कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत पिरयोजना, दोंगालिया, तहसील पुनासा जिला-खण्डवा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन अनुसार आवेदक/स्वामी को निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

01/ श्री ए.के. जैन, सीनियर फायर ऑफिसर, कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत पिरयोजना, दोंगालिया, तहसील पुनासा जिला-खण्डवा के द्वारा प्रकरण मे प्राप्त फायर अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। आवेदक संस्था श्री बालाजी पब्लिक स्कूल, ग्राम-छैगांवमाखन, इन्दौर रोड खण्डवा, तहसील व जिला-खण्डवा को उनके आवेदन क्रमांक 6100009916 के संदर्भ में ग्राम छैगांवमाखन, इन्दौर रोड, खण्डवा तहसील व जिला-खण्डवा के खसरा क्रमांक 344/1, क्षेत्रफल 4.25 हेक्टेयर पर शाला भवन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6100009916/FNOC/COL/2023/6115 दिनांक 02-june-23 से फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

02 / शाला भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार श्री ए.के. जैन, सीनियर फायर ऑफिसर, कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत पिरयोजना, दोंगालिया, तहसील पुनासा जिला-खण्डवा द्वारा, भवन के फायर कंसलटेंट एवं मालिक एवं अन्य की उपस्थिति में उपकरणो को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्स्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है तथा उपयुक्त फायर फायटिंग व्यवस्था होने का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

03/ फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

04/ भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय आपरेशन /चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणो के आपरेशन /चालू होने का रिकार्ड मानको /नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत /उपलब्ध समस्त स्टाप को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा । फायर उपकरणो का मानको के अनुसार तथा निर्धारित समय पर रख-रखाब किया जाना अनिवार्य होगा ।

05/ आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानको का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

06/ आवेदक / स्वामी भवन मे नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई एस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

07/ आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तथा शर्तो का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होगें।

08 / आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रहा फ़ायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने कि " एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से 'एक माह पूर्व' यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे है।

श्री ए.के. जैन, सीनियर फायर ऑफिसर, कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत पिरयोजना, दोंगालिया, तहसील पुनासा जिला-खण्डवा की अनुशंसा अनुसार प्रतिवेदन में उल्लेखित (छायाप्रति संलग्न है) एवं उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत आवेदन क्रमांक 6100014682 के संदर्भ में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदाय की गई है । तद्नुसार आदेश जारी किया जाता है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

जिला दण्डाधिकारी जिला खण्डवा (म.प्र.)

डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर, जिला-खण्डवा
(म0प्र0)